Seventeenth Loksabha

>

Title: Request the government to ban the illegal loan provide app and take strict action against them.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं । बीते हुए सालों में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आम व्यक्ति को बैंकिंग से जोड़ने का काम किया है और जन-धन खाते भी खोले गए हैं । बैंकिंग फॉर द नॉन बैंक, फंडिंग फॉर द नॉन फंडेड के लिए मुद्रा लोन स्कीम भी चालू की गई है । मैं समझता हूं कि देश में आज भी बड़ा गैप है कि एक आम आदमी के लिए बैंक से लोन लेना आसान नहीं है । देश में बहुत बड़ी मात्रा में एप बेस्ड कंपनियां आईं और इन कंपनियों ने बहुत लुभावनी व्यवस्था देने की कोशिश की । देश में अनेक जगह बड़ी मात्रा में लोगों को लोन भी दिया गया ।

महोदय, लोन देना और व्यवस्था को ठीक करने की बात तो सही है, लेकिन कहीं कोई उपभोक्ता लोन की किश्त मिस कर गया या लोन पे करने में सक्षम नहीं रहा तो लोन कंपनियों द्वारा इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है जिसमें ज्यादा इंटरस्ट रेट चार्ज किए जाते और 20-25 गुना पैनेल्टी लगाकर टॉर्चर किया जाता है । यह बहुत ही संगीन मुद्दा है ।

महोदय, राजस्थान में ऐसे बहुत से केस आए हैं । इस मुद्दे को अखबारों ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया है । एक महिला के साथ अश्लील चित्र को साझा करने की बात तक कही गई है । इस तरह से डिजिटल माफिया के रूप में टार्चर करने का काम किया जा रहा है । ऐसी उगाहियां हो रही हैं, जिसे एक आम आदमी के लिए पे करना आसान नहीं है ।

महोदय, आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1100 से ऊपर ऐसी एप बेस्ड कंपनियां हैं । इनमें आधे से ज्यादा कंपनियां इल्लीगल वे में काम कर रही हैं । इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए । मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं

कि आरबीआई को प्राथमिकता के साथ इन कंपनियों को बैन करना चाहिए । इनके इंटरस्ट रेट और पैनेल्टी को पाबंद करना चाहिए । इसके साथ ही पब्लिक एट लार्ज को एजुकेट करने का काम टॉप मोस्ट प्रियारिटी पर करना चाहिए ।

मैं आपके मार्फत आईटी मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन कंपनियों को गुग्गल ने एप और एंड्राएड्स पर सीज़ करने का काम किया है, जिन कंपनियों की टॉप मोस्ट प्रियारिटी पर शिकायतें आती हैं और जो आरबीआई पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी हैं, उन्हें हैंड टू हैंड बंद किया जाना चाहिए । स्टेट्स में पुलिस द्वारा कोऑपरेशन नहीं मिलता है । एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इस कारण लोग टॉर्चर होते हैं । सुसाइड तक की नौबत भी आ जाती है । इस तरह की बहुत शिकायतें आ रही हैं ।

मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ अगर कोई उपभोक्ता शिकायत लेकर आता है तो टॉप मोस्ट प्रियारिटी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए । हमारा देश बहुत बड़ा है, यहां बहुत इंटनेशनल कंपनियां हैं । यह माना जा रहा है कि भविष्य में वर्ष 2025 में यह मार्केट लगभग 30,000 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी, इसलिए इस संबंध में जागरूकता लानी बहुत जरूरी है । इसके कारण बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं ।

मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आरबीआई स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले । धन्यवाद ।